M.P. PROFESSIONAL EXAMINATION BOARD, BHOPAL

Jr. DATA ENTRY OPERATOR TEST (J.D.E.O.T.) - 2009

• Starting date of Online Submission	15.07.2009
• Last date of Online Submission	30.07.2009
• Date of Test	16.08.2009
• Test Fee	350/- for Direct Recruitment only + 50/- Online service charges

TIME TABLE

Day and Date of Test	Test Starts	Distribution of Answer Sheet	Time for filling the required entries on the Answer Sheet	Distribution of Question Booklet	Time for examinning the Question Booklet	Time for Marking the Answers on the Answer Sheet
Sunday 16.08.2009	08.00 am	8.00 am	8.00 am to 8.10 am = 10 minutes	8.10 am	8.10 am to 8.15 am = 5 minutes	8.15 am to 11.15 am = 3 Hours

NOTE :

- A candidate entering the examination hall after 15 minutes from the commencement of the test i.e. 8.15 pm shall not be permitted to take the test.

- The candidate must handover the marked OMR answer sheet to the invigilator before leaving the examination hall.

- Use of cellular/mobile phones, calculators, log tables, stray papers etc. is strictly.

अध्याय–1

कार्यालय, आयुक्त, भू–अभिलेख एवं बन्दोबस्त, मध्यप्रदेश
जूनियर डाटा एन्ट्री ऑपरेटर के पद हेतु चयन परीक्षा–2009
JDEOT - 2009

चयन संबंधी अनुदेश

आयुक्त, भू–अभिलेख एवं बन्दोबस्त, मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत जूनियर डाटा एन्ट्री ऑपरेटर सीधी भरती व बैकलॉग के पद पर चयन हेतु प्रतियोगी परीक्षा 2009 में ली जाने वाली परीक्षा हेतु निम्न निर्देश लागू होंगे :–

1 सामान्य :–

यह निर्देश उन समस्त आवेदकों पर लागू होंगे, जो कि आयुक्त, भू–अभिलेख एवं बन्दोबस्त, मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत जूनियर डाटा एन्ट्री ऑपरेटर सीधी भरती व बैकलॉग के पद पर चयन हेतु प्रतियोगी परीक्षा–2009 में आवेदन कर रहे हैं।

2. परिभाषाएँ :–

(अ) इन निर्देशों में श्रेणी से तात्पर्य चार श्रेणियों अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग से होगा।

(ब) मण्डल से तात्पर्य मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल से है।

(स) म.प्र. से तात्पर्य मध्यप्रदेश है।

3. वेतनमान :–

उक्त पद हेतु वेतनमान 4000–100–6000/– होगा।

4. पदों की संख्या :–

(क) जूनियर डाटा एन्ट्री ऑपरेटर (सीधी भरती) के पदों की संख्या/आरक्षण :

क्र.	श्रेणी	कुल पद		अस्थि/श्रवण बाधित विकलांग		भूतपूर्व सैनिक		स्वतंत्रता संग्राम सेनानी	
		MALE	FEMALE	OPEN	FEMALE	OPEN	FEMALE	OPEN	FEMALE
1.	अनारक्षित	56	24	03	01	06	-	-	-
2.	अनुसूचित जाति	18	08	01	-	02	-	-	-
3.	अनुसूचित जनजाति	22	10	01	01	02	-	-	-
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग	15	07	01	-	02	-	-	-
कुल पद :– 160									

(ख) जूनियर डाटा एन्ट्री ऑपरेटर (बैकलॉग भरती) के पदों की संख्या/आरक्षण :

क्र.	श्रेणी	कुल पद		अस्थिबाधित विकलांग		भूतपूर्व सैनिक		स्वतंत्रता संग्राम सेनानी	
		MALE	FEMALE	OPEN	FEMALE	OPEN	FEMALE	OPEN	FEMALE
1.	अनारक्षित	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	अनुसूचित जाति	15	07	01	-	02	-	-	-
3.	अनुसूचित जनजाति	38	17	02	01	04	-	-	-
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग	08	04	-	-	01	-	-	-
कुल पद :– 89									

5. शैक्षणिक योग्यता :–

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा निर्धारित उच्चतर माध्यमिक परीक्षा (10+2) के साथ "A" Level Diploma from DOEACC/IETE या यू.जी.सी. से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा संचालित/पंजीकृत/मान्यता प्राप्त/संबद्ध संस्था से PGDCA, BCA या कम्प्यूटर साइंस विषय में B.Sc या राजीव गांधी तकनीकी विश्वविद्यालय से पंजीकृत/संबद्ध पॉलिटेक्निक संस्था (महाविद्यालय) द्वारा कम्प्यूटर/सूचना प्रौद्योगिकी/इलेक्ट्रोनिक्स विषय में तीन वर्षीय डिप्लोमा या उच्च शिक्षा।

6. चयन का आधार :—

(अ)

1	चयन हेतु निर्धारण	लिखित परीक्षा की निर्धारित मेरिट सूची के आधार पर पात्रता होगी।
2.	लिखित परीक्षा में न्यूनतम अर्हकारी प्राप्तांक	न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य होगा ।
3	प्रावीण्य/प्रतीक्षा सूची	प्रावीण्य सूची लिखित परीक्षा के अंकों पर आधारित होगी । 20 प्रतिशत उम्मीदवारों की प्रतीक्षा सूची तैयार की जायेगी ।

(ब) प्रश्न–पत्र में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रत्येक एक अंक के कुल 150 प्रश्न होंगे, जिसमें सामान्य ज्ञान, कम्प्यूटर संबंधी, 10+2 एवं तीन वर्षीय कम्प्यूटर आधारित पाठ्यक्रम होगा। परीक्षा का माध्यम हिन्दी/अंग्रेजी में होगा तथा प्रश्न–पत्र 3.00 घण्टे की अवधि का होगा।

7. परीक्षा शहर :— भोपाल, जबलपुर, उज्जैन, ग्वालियर, इन्दौर, सागर तथा रीवा।

8. यात्रा व्यय का भुगतान :—

अनु.जाति एवं जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को शासन के नियमानुसार यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति आयुक्त, भू–अभिलेख एवं बन्दोबस्त, मध्यप्रदेश द्वारा दी जायेगी ।

9. मूल निवासी :—

आवेदक को भारतीय नागरिक व मध्यप्रदेश का मूल/स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है।

10. आयु सीमा :—

(अ) जूनियर डाटा एन्ट्री ऑपरेटर के सीधी भरती के पदों हेतु आवेदक की न्यूनतम आयु दिनांक 01.01.2009 को 18 वर्ष एवं उच्चतम आयु में श्रेणीवार छूट निम्नानुसार रहेगी :—

क्र.	आवेदक	श्रेणी	आयु का विवरण
1.	पुरूष	अनारक्षित	——
2.	पुरूष	आरक्षित – अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग	05 वर्ष
3.	महिला	अनारक्षित आरक्षित – अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग	10 वर्ष 15 वर्ष
4.	महिला	अनारक्षित – विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा आरक्षित – अनु.जाति/अनु.जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा	15 वर्ष 20 वर्ष
5.	विकलांग	अनारक्षित/आरक्षित – अनु.जाति/अनु.जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग	10 वर्ष

(ब) जूनियर डाटा एन्ट्री ऑपरेटर के बैकलॉग पदों हेतु आवेदक की न्यूनतम आयु दिनांक 01.01.2009 को 18 वर्ष एवं उच्चतम आयु में श्रेणीवार छूट निम्नानुसार रहेगी :—

क्र.	आवेदक	श्रेणी	आयु का विवरण
1.	पुरूष	आरक्षित – अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग	5 वर्ष
2.	महिला	आरक्षित – अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग	15 वर्ष
3.	महिला	आरक्षित – अनु.जाति/अनु.जनजाति/विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा	20 वर्ष
4.	विकलांग	आरक्षित – अनु.जाति/अनु.जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग	10 वर्ष

नोट : आयु की पुष्टि अंकसूची/जन्म प्रमाण–पत्र से की जायेगी।

स. आयु सीमा में छूट संबंधी शर्ते :—

1. निर्धारित अधिकतम आयु सीमा एवं आयु सीमा में छूट म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग का ज्ञाप क्रं. 3/5/2001/3/1, दि. 17.08.2004 के अनुसार।

2. भूतपूर्व सैनिकों की अधिकतम आयु सीमा में छूट म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग का ज्ञाप क्रं. 427/14221/1(3)82, दि. 14.06.1982 के अनुसार।

3. निःशक्तजनों के लिये आयु सीमा में छूट म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग का ज्ञाप क्रं. 50/2532/1(3)/80, दि. 12.02.1981 के अनुसार। विकलांगता का प्रतिशत न्यूनतम 40 प्रतिशत।

11. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन :–

आवेदक का संबंधित जिले के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन क्रमांक होना चाहिये।

12. अनर्हताऍं :–

1. जो पुरूष उम्मीदवार 21 वर्ष की आयु तथा महिला उम्मीदवार 18 वर्ष की आयु के पूर्व विवाहित हो। कोई भी ऐसे महिला/पुरूष उम्मीदरवार जिसने किसी ऐसे पुरूष/स्त्री से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही जीवित पति/पत्नी हो, ऐसे महिला/पुरूष चयन के लिये पात्र नहीं होंगे।

2. 26 जनवरी 2001 के बाद की उम्मीदवार की तीसरी संतान हो। परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अनर्ह होंगे।

13. नियुक्ति की शर्ते :–

1. म.प्र. भू–अभिलेख एवं बन्दोबस्त अराजपत्रित तृतीय श्रेणी कार्यपालिक एवं तकनीकी सेवा भरती नियम एवं म.प्र. शासन द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुसार।

2. चयनित अभ्यर्थियों को मध्यप्रदेश के किसी भी जिले की किसी भी तहसील में पदस्थ करने की कार्यवाही आयुक्त, भू–अभिलेख एवं बन्दोबस्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर द्वारा की जावेगी। पद का वेतनमान रूपये 4000–10–6000 होगा।

3. यह अस्थाई सेवा किसी भी समय एक माह का नोटिस उनके व्दारा नियुक्ति अधिकारी को देकर या नियुक्ति अधिकारी व्दारा उन्हें देकर समाप्त की जा सकती है। एक माह का नोटिस दिये बिना यदि वे अपनी अस्थाई सेवा छोड़ना चाहे तो उन्हें एक माह का वेतन तथा भत्ता या उस अवधि का वेतन तथा भत्तों, जिसमें एक माह का समय कम पड़ता हो, देना होगा ।

4. एक माह के भीतर प्रमुख चिकित्सा अधिकारी व्दारा प्रमाणित स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

5. यह नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन एवं जाति प्रमाण पत्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जा रहा है, यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा के लिए अयोग्य पाये जाते है, अथवा जाति प्रमाण पत्र वैद्य नहीं पाया जाता है, तो यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी एवं देय वेतन भत्ते इत्यादि की वसूली की जाएगी एवं नियमानुसार आपराधिक प्रकरण भी दर्ज किया जाएगा ।

4. नियुक्ति के पश्चात अधिकतम 6 माह की अवधि के अन्दर स्थाई जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा ।

5. अभ्यर्थी के विरूद्ध कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन हो या किसी न्यायालय द्वारा किसी भी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अनर्हत किया गया है, यदि कोई जानकारी तथ्य छुपाया गया हो या दस्तावेज फर्जी प्रस्तुत किए गए हो या नैतिक पतन के लिये जिम्मेदार ठहराया गया हो, तो चयन प्रक्रिया से बाहर कर आपराधिक प्रकरण भी चलाया जा सकता है।

6. किसी भी दस्तावेज में फेर बदल करने/जानकारी छिपाने/फर्जी दस्तावेज लगाने हो अनर्हताकारी माना जाएगा।

7. अभ्यर्थी को शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ्य न होना अनर्हता माना जाएगा।

15. पारस्परिक मेरिट :–

उम्मीदवारों/आवेदकों की प्रावीण्यता लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर निर्धारित होगी, परन्तु यदि दो व्यक्तियों को एक समान अंक मिले, तो उस आवेदक को वरिष्ठ माना जाएगा, जो आयु में वरिष्ठ हो।

16. न्याय क्षेत्र/अधिकार :–

किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र माननीय उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर होगा।

आयुक्त,
भू–अभिलेख एवं बन्दोबस्त
मध्यप्रदेश

अध्याय – 2
मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल
निर्देश एवं परीक्षा संचालन नियम

महत्वपूर्ण :–

आवेदन पत्र में भरी गई जानकारी का सत्यापन काउंसिलिंग/प्रवेश के समय संबंधित विभाग/संस्था द्वारा किया जायेगा। अतः बाद में यदि यह पता चलता है कि आवेदक द्वारा गलत अथवा असत्य जानकारी अथवा किसी जानकारी को छुपाया है ऐसी स्थिति में किसी भी समय पर संस्था प्रमुख/संबंधित विभाग/म.प्र. व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा।

2.1 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को आवेदन–पत्र के साथ मूल जाति प्रमाण–पत्र की स्कैन की गई प्रति संलग्न करना आवश्यक है। जाति प्रमाण–पत्र की छायाप्रति की स्कैन प्रति मान्य नहीं है। इसके अतिरिक्त आवेदन के साथ कोई अन्य दस्तावेज संलग्न नहीं किया जाना है।

2.2 स्क्रुटनी/आवेदन–पत्र का निरस्तीकरण :–

ऑनलाईन पद्धति से निर्धारित अंतिम तिथि तक प्राप्त आवेदन–पत्रों की स्क्रुटनी निम्न बिन्दुओं पर की जायेगी :–

(i)	अभ्यर्थी का फोटो	(ii)	अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(iii)	श्रेणी	(iv)	संवर्ग
(v)	मूल निवासी	(vi)	पाठ्यक्रम का विवरण जिसमें परीक्षा देना है
(vii)	लिंग	(viii)	जन्मतिथि

उपरोक्त जानकारी रिक्त,गलत या अपूर्ण की स्थिति में आवेदन–पत्र निरस्त किया जायेगा।

2.3 निरस्त होने के कारणों की सूचना:–

(i) मंडल कार्यालय द्वारा त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण आवेदन पत्र में आवेदक को त्रुटि सुधार का कोई भी अवसर नहीं दिया जायेगा।

(ii) नियमानुसार निरस्त किये गये आवेदन–पत्रों की जानकारी, निरस्तीकरण के कारण सहित मंडल की वेबसाईट www.vyapam.nic.in पर उपलब्ध करा दी जावेगी। इस कार्यालय द्वारा इस संबंध में पृथक से सूचित नहीं किया जावेगा।

2.4 परीक्षा प्रवेश–पत्र (Test Admit card) :-

मण्डल कार्यालय में नियमानुसार मान्य आवेदन–पत्र के अभ्यर्थियों को प्रवेश–पत्र (Test Admit card-TAC) जारी किए जायेंगे। अभ्यर्थियों को डाक द्वारा प्रवेश–पत्र प्रेषित नहीं किए जायेंगे। समस्त प्रवेश–पत्र मण्डल की वेबसाईट www.vyapam.nic.in पर अपलोड कर दिए जायेंगे तथा अभ्यर्थी अपने ऑनलाईन आवेदन–पत्र क्रमांक का प्रयोग करते हुए प्रवेश–पत्र डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके आधार पर अभ्यर्थी सीधे परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। डाउनलोड किए हुए प्रवेश–पत्र को सत्यापित करवाने की आवश्यकता नहीं होगी।

नोट :– प्रवेश पत्र जारी होने के उपरांत त्रुटि के दृष्टिगोचर होने पर मण्डल उसे रद्द/निरस्त/परिवर्तित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

2.5 परीक्षा शहर :–

यह परीक्षा निम्नलिखित शहरों में आयोजित की जायेगी :– भोपाल, ग्वालियर, इन्दौर, जबलपुर, उज्जैन, सागर एवं रीवा ।

2.6 परीक्षा हाल में ले जाने हेतु आवश्यक सामग्री :–

प्रवेश–पत्र, काली स्याही का बॉलप्वाइंट पेन।

2.7 इस परीक्षा में किसी भी प्रकार के Calculator उपयोग की मनाही है अर्थात् Scientific Calculator, Programmable Calculator, Watch Alarms, Listening Devices, Paging Devices (Beepers), Recording Devices, Protectors, Compasses, Scales आदि पूर्णतः वर्जित है।

2.8 परीक्षा के विषय एवं प्रश्न–पत्र :–

परीक्षा में एक प्रश्न पत्र होगा तथा प्रश्न–पत्र में 150 प्रश्न पूछे जायेंगे। प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, जिनमें प्रत्येक प्रश्न के चार संभावित उत्तर/विकल्प दिये रहेंगे। परीक्षार्थी को सही उत्तर चुनकर उससे संबंधित गोले को ओ.एम.आर. उत्तरशीट पर काले बॉल प्वाइंट पेन से काला करना होगा।

2.9 अनुचित साधन (Unfair means, UFM) :–

परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व सुनिश्चित कर लें कि सीट पर, सीट के निकट, कम्पास, स्केल या पॉकेट में कोई अवांछनीय सामग्री, कोई पुस्तक या कागज आदि नहीं है। इनका होना अनुचित साधनों का प्रयोग में लाना माना जाएगा एवं तदनुसार दण्डनीय होगा। इसी प्रकार परीक्षा कक्ष में अन्य परीक्षार्थियों से चर्चा करना, उनकी उत्तरशीट/प्रश्नपुस्तिका से नकल करना अथवा अपनी उत्तरशीट/प्रश्नपुस्तिका से अन्य परीक्षार्थियों से नकल करवाना, किसी अन्य परीक्षार्थी से इन्हें बदलना, कक्ष में बोलना या बताना आदि अनुचित साधनों के प्रयोग के अंतर्गत माना जाएगा एवं UFM के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर आगे बिना किसी अन्य सुनवाई के उसकी संपूर्ण परीक्षा निरस्त कर दी जाएगी। साथ ही, उसे आगामी ऐसी अवधि के लिए, जो मंडल उचित समझे, मंडल की सभी परीक्षाओं से वंचित किए जाने का दण्ड भी दिया जा सकेगा।

2.10 त्रुटिपूर्ण प्रश्न, उसका निरस्तीकरण एवं बदले में दिया गया अंक :– परीक्षा उपरांत मंडल द्वारा विषय विशषज्ञों से प्रश्नपत्र के प्रत्येक प्रश्न का परीक्षण कराया जाता है। विषय विशेषज्ञों द्वारा किसी प्रश्न को त्रुटिपूर्ण पाए जाने पर उस प्रश्न को निरस्त कर दिया जाता है। निम्नलिखित कारणों से प्रश्न निरस्त किए जा सकते है :–

1. प्रश्न की संरचना गलत हो।
2. उत्तर के रूप में दिये गये विकल्पों में एक से अधिक विकल्प सही हों।
3. कोई भी विकल्प सही न हो।
4. यदि प्रश्न–पत्र के किसी प्रश्न के अंग्रेजी एवं हिन्दी अनुवाद में भिन्नता हो जिस कारण दोनों के भिन्न–भिन्न अर्थ निकलते हों और सही एक भी उत्तर प्राप्त न होता हो।
5. कोई अन्य मुद्रण त्रुटि हुई हो जिससे सही उत्तर प्राप्त न हो या एक से अधिक विकल्प सही हो। प्रश्न पत्र विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार ऐसे निरस्त किए गए प्रश्नों के लिए सभी को इस प्रश्न–पत्र में उनके द्वारा अर्जित अंकों के अनुपात में मण्डल अंक प्रदान करता है। भले ही उसने निरस्त किए गए प्रश्नों को हल किया हो या नहीं।

उदाहरण स्वरूप यदि किसी 100 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 98 प्रश्नों में 81 अंक प्राप्त करता हैं, तो उसके अंकों की गणना इस प्रकार होगी :–

$$\frac{81 \text{ x } 100}{(100 - 2)} = 82.65$$

2.11 मूल्यांकन पद्धति :–

वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर 1 अंक दिया जायेगा। गलत उत्तर अंकित करने या एक से अधिक उत्तर (Multiple marking) अंकित करने एवं प्रश्नों के उत्तर अंकित न करने के फलस्वरूप शून्य (Zero) अंक प्रदाय किया जायेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जावेगा।

2.12 परीक्षा परिणाम का प्रकाशन :–

प्रवेश नियमों के आधार पर मण्डल द्वारा पात्र घोषित अभ्यर्थियों की सूची बनाई जाएगी। परीक्षा परिणाम मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल की वेबसाईट www.vyapam.nic.in पर देखा सकता है। परीक्षा परिणाम मंडल कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी उपलब्ध होगा। प्रदेश के प्रमुख समाचार पत्रों में परीक्षा परिणाम संबंधी विज्ञप्ति प्रकाशित की जायेगी।

2.13 अंक सूची :

परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरांत सभी अभ्यर्थियों की अंकसूची मण्डल की वेबसाईट www.vyapam.nic.in पर अपलोड कर दी जायेगी। अभ्यर्थी वेबसाईट से डाउनलोड कर अंकसूची प्राप्त कर सकते हैं। डाक से अंकसूची का प्रेषण नहीं किया जायेगा।

2.14 डुप्लीकेट अंकसूची :

इस परीक्षा में मण्डल द्वारा डुप्लीकेट अंकसूची प्रदाय करने का प्रावधान नहीं है। उपरोक्त नियम क्रं. 2.13 में दर्शाये अनुसार अभ्यर्थी अंकसूची प्राप्त कर सकते हैं।

2.15 म.प्र. व्यावसायिक परीक्षा मंडल का कार्य प्रवेश परीक्षा का संचालन एवं उसका परिणाम घोषित करना मात्र होगा :–

परीक्षा संचालन से संबंधित सभी नीतिगत विषयों का निर्धारण एवं निर्णय लेने का अंतिम अधिकार मण्डल का होगा। मण्डल अपने पास परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है एवं मण्डल द्वारा किया गया कोई भी ऐसा संशोधन बंधनकारी होगा।

2.16 क्षेत्राधिकार :–

किसी भी परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं के विधि संबंधी विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकारी (Jurisdiction) मध्यप्रदेश के उच्च न्यायालय तक ही सीमित रहेगा।

---0---